संख्या-10/2019/167/छप्पन-2019-71/2017

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 31 जनवरी, 2019

विषय: हिण्डन एयरपोर्ट के विद्युत संयोजन के उर्जीकरण के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक -576/ना0उ0नि0/2019, दिनांक 21 जनवरी, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गाजियाबाद में स्थित हिण्डन एयरबेस पर सिविल इन्क्लेव के विकास हेतु राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य दिनांक 12.07.2018 को निष्पादित एम0ओ0यू0 के बिन्दु 1.7 में प्रावधानित व्यवस्थानुसार (छूट की दरों पर विद्युत एवं जल की व्यवस्था स्थल पर उपलब्ध कराने का दायित्व उ0प्र0 सरकार का है) हिण्डन एयरपोर्ट के विद्युत संयोजन के उर्जीकरण हेतु धनराशि रू0 2,37,04,982/- (रूपए दो करोड़ सैंतीस लाख चार हजार नौ सौ बयासी मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, साथ ही उक्त धनराशि को जिलाधिकारी, गाजियाबाद के निवर्तन पर उपलब्ध कराए जाने हेतु भी शासन की स्वीकृति की अपेक्षा की गई है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल जनपद गाजियाबाद में स्थित हिण्डन एयरपोर्ट के विद्युत संयोजन के उर्जीकरण हेतु धनराशि रू0 2,37,04,982/- (रूपए दो करोड़ सैंतीस लाख चार हजार नौ सौ बयासी मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 2,37,04,982/- (रूपए दो करोड़ सैंतीस लाख चार हजार नौ सौ बयासी मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

3- स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

4- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावानुसार दी जा रही है। यदि इस सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2,37,04,982/- (रूपए दो करोड़ सैंतीस लाख चार हजार नौ सौ बयासी मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, गाजियाबाद के निवर्तन पर रखी जाएगी।

6- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

7- जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा उक्तानुसार वांछित कार्यवाही सम्पादित कराने के पश्चात् तत्काल निदेशक, नागरिक उड्डयन को सूचित किया जाएगा एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल शासन को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाएगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7- 76 /दस-2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 10/2019/167(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
5- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ / वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
8- लोक निर्माण अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
9- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उ0प्र0।
10- समीक्षा अधिकारी, (बजट)।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।